न्यायालय राष्ट्रीय लोक अदालत केम्प दीगोद जिला कोटा (राज0)

मि0नं0 207ए / 2019

तारीख फैसला 9.12.2023

उनवान

1– मोतीलाल आत्मज रामरतन जी
2– मथुरालाल आत्मज रामरतन जी
3– रामप्रसाद आत्मज रामरतन जी
जाति गुर्जर निवासीगण काला रेवा तहसील दीगोद जिला कोटा राज0

(वादीगण)

बनाम

1– राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार दीगोद जिला कोटा

(प्रतिवादी)

वादी की ओर से – श्री छीतरलाल गोचर एडवोकेट
प्रतिवादी की ओर से– तहसीलदार दीगोद

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 89 आर.टी.एक्ट बाबत घोषणा इन्द्राज दुरूस्ती

निर्णय

वादीगण ने उपरोक्त शीर्षक का वाद पत्र निम्न रूपेण पेश किया है :–

संक्षिप्त में प्रकरण इस प्रकार है कि ग्राम छीपड़दा तहसील दीगोद जिला कोटा में खसरा नम्बर 29 की 0.27 हेक्टर भूमि स्थित चली आ रही है। नकल जमाबन्दी संम्वत 2071–2074 संलग्न है।

यह कि उक्त भूमि के राजस्व रिकार्ड में रामरतन आत्मज हरलाल जी के नाम दर्ज है। वादीगण के पिता का नाम रामरतन जी है तथा रामरतन जी के पिता का नाम लोड़ू जी हे किन्तु राजस्व रिकार्ड में उनके पिता का नाम लोड़ू के स्थान पर गलती से हरलाल दर्ज हो रहा है।

यह कि वादीगण के पिता रामरतन जी का देहावसान दिनांक 6.09.2000 को हो गया है। वादीगण अपने पिता की मृत्यु के बाद उक्त भूमि पर वादीगण ही काबिज काश्त चले आ रहे है। वादीगण ही रामरतन आत्मज लोड़ू जी के एक मात्र वारिसान है।

यह कि राजस्व रिकार्ड में रामरतन जी के पिता का नाम हरलाल दर्ज होने के कारण व मृत्यु प्रमाण पत्र में लोड़ू जी दर्ज होने के कारण वादीगण के नाम फोती इंतकाल दर्ज नही हो सका। जबकि रामरतन जी के वोटर आईडी कार्ड में उनके पिता का नाम लोड़ू जी ही दर्ज है इस कारण अन्य गांव की भूमि में वादीगण के पिता का नाम रामरतन आत्मज लोड़ू जी दर्ज है ओर उसका फोती इंतकाल वादीगण के नाम खुल चुका है।

यह कि वादीगण ने प्रतिवादी से उक्त राजस्व रिकार्ड में वादीगण के दादा का नाम हरलाल के स्थान पर लोड़ू जी दर्ज करने व रामरतन जी का फोती नामान्तकरण वादीगण

सदस्य
तालुका विधिक सेवा समिति
दीगोद जिला कोटा (राज.)

सदस्य
तालुका विधिक सेवा समिति
दीगोद जिला कोटा (राज.)

अध्यक्ष
राष्ट्रीय लोक अदालत
दीगोद जिला कोटा

नाम खोलने हेतु दिनांक 25.11.2019 को कहा तो प्रतिवादी के कर्मचारियों व अधिकारियों ने नाम दुरूस्त करने व इंतकाल खोलने से इन्कार कर दिया तथा कहा किवे न्यायालय के आदेश से दुरूस्त कर इंतकाल तस्दीक कर देगें।

यह कि उपरोक्त परिस्थितियों में वादीगण को अपने अधिकारों की सुरक्षा हेतु प्रतिवादी के खिलाफ माननीय न्यायालय में वादीगण के पिता का नाम दुरूस्त कराने व उक्त भूमि के खातेदार घोषित कराने का वाद प्रस्तुत करना आवश्यक हो गया है।

अतः वादीगण ने वाद पत्र पेश कर निवेदन किया है कि ग्राम छीपड़दा तहसील दीगोद जिला कोटा की खसरा नम्बर 29 की 0.27 हेक्टर भूमि के राजस्व रिकार्ड में रामरतन आत्मज हरलाल के स्थान पर रामरतन आत्मज लोडू जी दर्ज कर दुरूस्ती किये जाने का आदेश प्रदान किया जावे। रातरतन जी के वादीगण वारिसान होने से उनको खातेदार घोषित किया जाकर उक्त भूमि वादीगण के नाम खाते दर्ज किये जाने की आज्ञा व डिक्री पारित की जावे।

वादीगण की ओर से निम्न दस्तावेज प्रस्तुत किये गयेः–

1– नकल जमाबन्दी ग्राम छीपडदा सम्वत 2071–2074 खाता संख्या 261
2– पहचान पत्र की छाया प्रति
3– राशन कार्ड की छाया प्रति
4– मृत्यु प्रमाण पत्र की छाया प्रति

वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी की तलबी विधिवत करवायी गई प्रतिवादी तहसीलदार की ओर से जवाब सरकार प्रस्तुत किया गया जो शामिल पत्रावली किया गया। तहसीलदार दीगोद ने अपने जवाब वादी के दादा जी का नाम रामरतन पुत्र लोडू जी एवं रामरतन पुत्र हरलाल दोनों एक ही व्यक्ति होना प्रकट किया है। वादी के दादा जी का नाम रामरतन पुत्र हरलाल के स्थान पर रामरतन पुत्र लोडू जी दर्ज किये जाने की अनुशंषा की गई है।

वादी के अधिवक्ता की बहस सुनी गयी। प्रकरण में जवाब सरकार एवं पत्रावली में उपलब्द्ध राजस्व रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया। वादी का वाद पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

अतः वादी का वाद पत्र स्वीकार जाकर ग्राम छीपडदा तहसील दीगोद जिला कोटा में की खसरा नम्बर 29 की 0.27 हेक्टर भूमि के राजस्व रिकार्ड में रामरतन आत्मज हरलाल के स्थान पर रामरतन आत्मज लोडू दर्ज कर दुरूस्ती किये जाने का आदेश प्रदान किया जावे। रातरतन जी के वादीगण वारिसान होने से उनको खातेदार घोषित किया जाकर उक्त भूमि वादीगण के नाम खाते दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है। तदनुसार डिक्री जारी हो। पत्रावली में अन्य कोई कार्यवाही शेष नहीं रहने पर पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफत्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 9.12.2023 को राष्ट्रीय लोक अदालत केम्प दीगोद में सुनाया गया।

सदस्य
तालुका विधिक सेवा समिति
दीगोद जिला कोटा (राज.)

सदस्य
तालुका विधिक सेवा समिति
दीगोद जिला कोटा (राज.)

अध्यक्ष
तालुका विधिक सेवा समिति
दीगोद जिला कोटा